

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515000010300

संख्या 1/शा०/०१/२०१९-१/०१/२०१९

लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-13/2019/793/33-3-2019-100 (3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत वेतन भत्ता आदि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रु०-10,27,08,000/- (रु० दस करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

11. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक ए धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
 12. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
 13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
 14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
 15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य -लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
 16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-01 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
 निदेशक,
 पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/01/1/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायतीराज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:-

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

1-sha-1-2019-1-01-2019

001-01-01-2019

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मत्तदेय)

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-29/04/2019

001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - पंचायती राज निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वर्तन भत्ता	03-महंगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-यात्रा व्यय भत्ता	06-स्वामित्व/अन्य भत्ता	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत खर्च	10-चल प्रसारण खर्च	11-लेखन सामग्री	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन और पर व्यय भत्ता	15-यात्रा का अतिरिक्त व्यय	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-प्रशिक्षण, विकास और कर-विस्थापना/सांकेतिक व्यय	44-प्रशिक्षण व्यय	45-हस्त यात्रा/अवकाश को क्रय	46-कम्प्यूटर	47-कम्प्यूटर	49-व्यय	51-वर्तन का अतिरिक्त व्यय	52-पुनरीक्षण	55-मकान मालिकी	56-नगर सौकर	58-आउट सोरिंग	योग
1	जवाहर भवन, निदेशक, पंचायती राज, उ०१०, बल्लभपुर-०१-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000
2	योग	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000	वर्तमान 6150000092250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन)-
महायोग- (प्रामी आवंटन)-

रूपया दस करोड़ सत्ताइस लाख आठ हजार
रूपया दस करोड़ सत्ताइस लाख आठ हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
(बुजेश कुमार)